


**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्र. / शि.क. / सी / संवि. / 128 / 2010 / 1187  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/9/10

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती वंदना बर्गे (चौधरी) सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. खेतिया जिला बड़वानी	AD8434	232807073 03	नगर पंचायत खेतिया जिला बड़वानी जा.क्र. 251दि. 11.2.10	जनपद पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. 1530दि. 23.7.10 शा.प्रा.शा. ब्यावर	232101091 01
2	श्रीमती मालती सोनी सहायक अध्यापक शा.पूर्व मा.क.शा. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर	AS1480	234003259 02	नगर पंचायत गोटेगांव जिला -नरसिंहपुर जा.क्र.3213दि.20.5.10	जनपद पंचायत पनागर जिला -जबलपुर जा.क्र.1189दि 04.8.10 शा.मा.शा. सुहागी	233904141 02
3	श्रीमती इंदिरा शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. भिलो का खेडा जिला नीमच	AS6039	231805254 01	जनपद पंचायत मनासा जिला -नीमच जा.क्र.1319दि 13.8.10	जनपद पंचायत मंदसौर जिला -मंदसौर जा.क्र.3107दि 03.8.10 शा.प्रा.शा. आक्याफ्तु	231906026 01
4	श्रीमती रीना सैधव सहायक अध्यापक शा.मा.शा. गुराडियावर्मा जिला सीहोर	AA8578	233301143 01	जनपद पंचायत आष्टा जिला -सीहोर जा.क्र.1025दि 09.6.10	जनपद पंचायत देवारा जिला -देवास जा.क्र.2948दि 26.7.10 शा.प्रा.शा. लोहाना	232301051 01
5	श्री बीरवल धाकड़ (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. गंजीपुरा जिला शिवपुरी	BB6080	230601369 01	जनपद पंचायत शिवपुरी जिला -शिवपुरी जा.क्र.997दि 30.7.10	जनपद पंचायत कैलारस जिला -मुरैना जा.क्र.72दि 21.7.10 शा.प्रा.शा. बहरारा	230206045 01
6	श्रीमती सरोज बाक्सर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. चिचगांव जिला छिंदवाडा	AH4442	234311064 01	जनपद पंचायत चौरई जिला -छिंदवाडा जा.क्र.305दि 29.5.10	जनपद पंचायत हरदा जिला -हरदा जा.क्र.1749दि 29.6.10 शा.प्रा.शा. रहारुई	233601134 01

  
14/9


**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./सी/संवि./128/2010/1187  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/9/10

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती वंदना बर्गे (चौधरी) सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. खेतिया जिला बड़वानी	AD8434	232807073 03	नगर पंचायत खेतिया जिला बड़वानी जा.क्र. 251दि. 11.2.10	जनपद पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. 1530दि 23.7.10 शा.प्रा.शा. ब्यावर	232101091 01
2	श्रीमती मालती सोनी सहायक अध्यापक शा.पूर्व मा.क.शा. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर	AS1480	234003259 02	नगर पंचायत गोटेगांव जिला -नरसिंहपुर जा.क्र.3213दि.20.5.10	जनपद पंचायत पनागर जिला -जबलपुर जा.क्र.1189दि 04.8.10 शा.मा.शा. सुहागी	233904141 02
3	श्रीमती इंदिरा शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. भिलो का खेडा जिला नीमच	AS6039	231805254 01	जनपद पंचायत मनासा जिला -नीमच जा.क्र.1319दि 13.8.10	जनपद पंचायत मंदसौर जिला -मंदसौर जा.क्र.3107दि 03.8.10 शा.प्रा.शा. आक्याफंतु	231906J26 01
4	श्रीमती रीना सैधव सहायक अध्यापक शा.मा.शा. गुराडियावर्मा जिला सीहोर	AA8578	233301143 01	जनपद पंचायत आष्टा जिला -सीहोर जा.क्र.1025दि 09.6.10	जनपद पंचायत देवास जिला -देवास जा.क्र.2948दि 26.7.10 शा.प्रा.शा. लोहाना	232301051 01
5	श्री बीरवल धाकड़ (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. गंजीपुरा जिला शिवपुरी	BB6080	230601369 01	जनपद पंचायत शिवपुरी जिला -शिवपुरी जा.क्र.997दि 30.7.10	जनपद पंचायत कैलारस जिला -गुरेना जा.क्र.72दि 21.7.10 शा.प्रा.शा. बहरारा	230206045 01
6	श्रीमती सरोज वाक्सर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. चिचगांव जिला छिंदवाड़ा	AH4442	234311064 01	जनपद पंचायत चौरई जिला -छिंदवाड़ा जा.क्र.305दि 29.5.10	जनपद पंचायत हरदा जिला -हरदा जा.क्र.1749दि 29.6.10 शा.प्रा.शा. रहारपुर	233601134 01

  
14/9

**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./सी/संवि./128/2010/1187  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/9/10

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती वंदना बर्गे (चौधरी) सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. खेतिया जिला बड़वानी	AD8434	232807073 03	नगर पंचायत खेतिया जिला बड़वानी जा.क्र. 251दि. 11.2.10	जनपद पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. 1530दि. 23.7.10 शा.प्रा.शा. ब्यावरा	232101091 01
2	श्रीमती मालती सोनी सहायक अध्यापक शा.पूर्व मा.क.शा. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर	AS1480	234003259 02	नगर पंचायत गोटेगांव जिला -नरसिंहपुर जा.क्र.3213दि.20.5.10	जनपद पंचायत पनागर जिला -जबलपुर जा.क्र.1189दि 04.8.10 शा.मा.शा. सुहागी	233904141 02
3	श्रीमती इंदिरा शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. भिलो का खेडा जिला नीमच	AS6039	231805254 01	जनपद पंचायत मनासा जिला -नीमच जा.क्र.1319दि 13.8.10	जनपद पंचायत मंदसौर जिला -मंदसौर जा.क्र.3107दि 03.8.10 शा.प्रा.शा. आक्याफतु	231906026 01
4	श्रीमती रीना सैधव सहायक अध्यापक शा.मा.शा. गुराडियावर्मा जिला सीहोर	AA8578	233301143 01	जनपद पंचायत आष्टा जिला -सीहोर जा.क्र.1025दि 09.6.10	जनपद पंचायत देवास जिला -देवास जा.क्र.2948दि 26.7.10 शा.प्रा.शा. लोहाना	232301051 01
5	श्री बीरबल धाकड़ (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. गंजीपुरा जिला शिवपुरी	BB6080	230601369 01	जनपद पंचायत शिवपुरी जिला -शिवपुरी जा.क्र.997दि 30.7.10	जनपद पंचायत कैलारस जिला -मुरैना जा.क्र.72दि 21.7.10 शा.प्रा.शा. बहरास	230206045 01
6	श्रीमती सरोज बाक्सर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. चिचगांव जिला छिंदवाड़ा	AH4442	234311064 01	जनपद पंचायत चौरई जिला -छिंदवाड़ा जा.क्र.305दि 29.5.10	जनपद पंचायत हरदा जिला -हरदा जा.क्र.1749दि 29.6.10 शा.प्रा.शा. रहारपुर	233601134 01

*[Handwritten Signature]*  
14/9

7	श्रीमती प्रविता तिवारी सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.शा. कर्तुआ जिला सिंगरौली	BB7728	235001005 03	जनपद पंचायत वितरंगी जिला -सिंगरौली जा.क्र.1203दि 26.7.10	जनपद पंचायत सीधी जिला -सीधी जा.क्र.3067दि 28.8.10 शा.प्रा.शा. हिनौता	2317061 01
---	--	--------	-----------------	--	---	---------------

**संविलियन की शर्त :-**

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।  
“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


  
 सहायक संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रं./शि.क./सी/संवि./128/2010/ 11988  
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।

भोपाल, दिनांक 14/9/10

4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावे।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
14/9/2020

सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./सी/संवि./134/2010/1198

भोपाल, दिनांक 17-9-10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती अंगूरबाला पाटीदार अध्यापक शा.मा.वि. बड़ोदिया जिला नीमच	AS7758	231805128 02	जिला पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र.8452दि27.8.10	जिला पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.3019दि 21.7.10 शा.हाईस्कूल सेमली	231904666 12
2	श्रीमती रंजीता मिश्रा अध्यापक (विज्ञान) शा.पूर्वमा.वि. हरदोली जिला रीवा	BP5599	231409009 07	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.2039दि31.8.10	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.1586दि 28.8.10 शा.हाईस्कूल हरदुआकला नागौद	231399666 11
3	श्री अयाजुरहमान (विकलांग) अध्यापक शा.मा.वि. खारपा जिला देवास	BS7662	232305028 02	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.4526दि12.7.10	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.4300दि 06.8.10 शा.मा.वि. हकीमपुर	233301027 02
4	श्रीमती वंदना मण्डलोई अध्यापक शा.नवीन मा.वि. डुडगांव जिला खण्डवा	AO2657	232909054 02	जिला पंचायत खण्डवा जिला खण्डवा जा.क्र.2633दि 29.3.10	जिला पंचायत बुरहानपुर जिला बुरहानपुर जा.क्र.1407दि 14.6.10 शा.हाईस्कूल भावसा	234802022 03


संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।



4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

  
उप संचालक 9.10  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रं./शि.क./सी/संवि./134/2010/1199  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 17.9.10

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
उप संचालक 12.9.10  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./सी/संवि./127/2010/120

भोपाल, दिनांक 17-9-10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती बबीता मिहोलिया अध्यापक शा.मा.वि. उददनखेड़ा जिला भिण्ड	BG3957	230306067 02	जिला पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क्र.4883दि15.7.10	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.3167 दि18.8.10 शा.उ.मा.वि. खोकरकला	232205777 04
2	श्रीमती सुषमा सिंह अध्यापक (गणित) शा.उ.मा.वि. धुरवार जिला शहडोल	BH9881	231612888 02	जिला पंचायत शहडोल जिला शहडोल जा.क्र.3786दि21.6.10	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.3006दि 28.6.10 शा.मा.वि. बेलखाडू	233904149 02
3	श्रीमती निर्मला हल्दकार अध्यापक शा.उ.मा.वि. क्रं.-2 जिला मण्डला	AP9499	234299999 09	नगरपालिका परिषद मण्डला जिला मण्डला जा.क्र.384दि.22.7.10	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.4601दि 23.6.10 शा.मा.वि. घुघरीकला	233907130 02
4	श्रीमती अरुणा तिवारी अध्यापक शा.उ.मा.वि. नरदहा जिला पन्ना	AT1698	231001777 04	जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र.5026दि20.8.10	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.245दि 25.8.10 शा.पूर्व मा.वि. बरवाह	231401152 01
5	श्रीमती ममता चौहान अध्यापक (विज्ञान) शा.नवीन मा.शा. छीरपुरा जिला हरदा	AL6357	233602097 02	जिला पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र.3802दि20.5.10	जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल जा.क्र.5083दि 05.8.10 शा.मा.शा. अंधारिया (आमला)	233501018 04


संविलियन की शर्त :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।



4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


  
17.9.10  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 17.9.10

पृष्ठा. क्र./श.क./सी/संवि./127/2010/1202

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
17.9.10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश


क्र./शि.क./सी/संवि./125/2010/1203

भोपाल, दिनांक 17/9/10

:: आदेश ::


म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सरिता शुक्ला सहायक अध्यापक शा.मा.वि. बरिगवां जिला सीधी	BC5186	231706054 01	जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 2712दि. 09.8.10	जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र. 1125दि. 18.8.10 शा.क.प्रा.शा. डिहिया	231401018 01
2	श्रीमती शीला त्रिपाठी सहायक अध्यापक शा.पूर्व मा.शा. जोगिनी जिला सिंगरौली	BC6518	235002076 01	जनपद पंचायत देवसर जिला -सिंगरौली जा.क्र.1576दि.17.8.10	जनपद पंचायत रामपुर नैकिन जिला -सीधी जा.क्र.1491दि 10.8.10 शा.क.प्रा.शा. साडा शा.प्रा.शा. टकटैया	231705155 03
3	श्रीमती अर्चना सिंह सहायक अध्यापक शा.शिक्षा गारंटी शा. कूढाटोला निगरी जिला सिंगरौली	BC8207	235002043 03	जनपद पंचायत देवसर जिला -सिंगरौली जा.क्र.1372दि 20.7.10	जनपद पंचायत रायपुर कचुलियान जिला -रीवा जा.क्र.526दि 19.8.10 शा.प्रा.शा. मझिगवां	231402014 01
4	श्रीमती पद्मा चौहान सहायक अध्यापक शा.शिक्षा गारंटी शा. पुराना बरूखार(सांची) जिला रायसेन	AU1979	233405034 02	जनपद पंचायत सांची जिला -रायसेन जा.क्र.1706दि 30.7.10	जनपद पंचायत पनागर जिला -जबलपुर जा.क्र.1262दि 17.8.10 शा.मा.शा करमेता	233904140 02
5	श्रीमती पुष्पा शुक्ला सहायक अध्यापक शा.शिक्षा गारंटी शा. शांतिनगर उमरिया जिला उमरिया	BE7942	231509103 03	जनपद पंचायत मानपुर जिला -उमरिया जा.क्र.1053दि 27.7.10	जनपद पंचायत मरुगंज जिला -रीवा जा.क्र.844दि 23.8.10 शा.पूर्व मा.शा. नरैनी पहाड़	231403058 02
6	श्रीमती लीलावती प्रजापति सहायक अध्यापक शा.पूर्व मा.शा. कथुरा जिला सिंगरौली		235008062 02	जनपद पंचायत वैढन जिला -सिंगरौली जा.क्र.2038दि04.11.09	जनपद पंचायत सीधी जिला -सीधी जा.क्र.2469दि 16.7.10 शा.शिक्षा गारंटी शा. रातपहरी	231706186 05



**संविलियन की शर्तें :-**

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।  
**"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"**

  
सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12/9/10

पृष्ठा. क्रं./शि.क./सी/सवि./125/2010/1204

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।

6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



**लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./बी/90/2010/1019

भोपाल, दिनांक 6/8/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्वधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती निहारिका बेलवंशी अध्यापक शा.उ.मा.वि. सावरी बाजार जिला छिंदवाड़ा	AG8990	234302777 05	जिला पंचायत छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.2107एदि.16.6.10	विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) पंचमढी जिला हॉशगावदर जा.क्र.368दि.17.10 शा.क.हाईस्कूल पंचमढी	233706156 03

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होंगे।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को ज्येदी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी शर्तों का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

*Mp*

10. वर्ष 2001 की भती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यक्षक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संवितियन की कार्यवाही में भी ऊक्त शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालन-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र उक्त क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।  
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



उप संचालक 3/8/10

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 6/8/10

पृष्ठा.क्रं./शि.क./बी/संवि./90/2010/1020  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद में संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



उप संचालक 3/8/10  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश